राजस्व लोक अदालतअभियान
न्यायआपकेद्वार–2017

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर शाहपुरा जिला भीलवाडा
पीठासीन अधिकारी– श्री के0आर0 खोड़ आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 –	तारीख दायर	तारीख फैसला
46/2007/वाद पत्र	13.03.2007	31.05.2017

उनवान

भैरू पिता नारायण नायक निवासी चलानिया तहसील शाहपुरा

– वादी

बनाम

1–2 प्यारा,नन्दा पिता नारायण नायक निवासी चलानिया
3– देबी पिता नारायण नायक निवासी चलानिया (फोत) (डिलिट)
4– कैलाश पिता नारायण नायक निवासी चलानिया
5– छगु बेवा भागीरथ नायक निवासी चलानिया
6– महादेव पिता भागीरथ नायक निवासी चलानिया
7– तहसीलदार शाहपुरा

– प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88–89–188 आर0टी0ए0

उपस्थित :– 1. श्री त्रिलोक चन्द नोलखा : अधिवक्ता वादी

निर्णय

वादी ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88–89–188 रा0टी0ए0 विरूद्व प्रतिवादीगण के प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है ग्राम चलानिया प0ह0 लूंलास तहसील शाहपुरा मे नारायण पिता लखा नायक के खातेदारी अधिकार की आराजी नम्बर 739/1 ग रकबा 8 बीघा संवत 2039–42 की जमाबन्दी मे दर्ज है। खातेदार नारायण फोत हो चुका है। भैरू, रामस्वरूप पुत्र व मु0 हगामी, मु0नानू पुत्रियॉ व मु0 केसर बेवा नारायण है। हगामी,नानी व मु0 केसर ने वादी के पक्ष मे हकत्याग करने से वर्तमान जमाबन्दी मे वादी अकेले के नाम आ चुका है। नारायण को जो अलोट हुई कब्जा जिस जगह सिपुर्द किया गया उसी जगह को तत्कालीन हल्का पटवारी द्वारा नक्शे मे फिट किया गया। पुराने नक्शे की नकल संलग्न है। शाहपुरा तहसील मे सेटलमेन्ट का कार्य चला जो पूर्ण हो चुका है। साबिक आ0न0 739/1 ग के नये नम्बर 869 रकबा 0.06 है0, 870 रकबा 0.04 है0, 871 रकबा 0.04 है0, 872 रकबा 0.15 है0, 873 रकबा 0.62 है0, 875 रकबा 0.20 है0 व 877 रकबा 0.36 है0 कुल किता 7 रकबा 1.47 है0 दर्ज रेकार्ड है। पुराने रकबे 8 बीघा का सेटलमेन्ट के बाद रकबा 1.72 है0 होना चाहिये किन्तु वर्तमान मे 1.47 है0 ही दर्ज किया गया। इस तरह पूर्व रिकार्ड वर्तमान रेकार्ड मे 0.25 है0 का अन्तर है। उक्त अन्तर को सही कराने हेतु वादी खातेदारी घोषणा का वाद पेश कर रहा है। वादी को प्रतिवादीगण रेवेन्यू रेकार्ड मे इन्द्राज के आधार पर कभी भी बेदखल करने का प्रयास कर सकते है। ऐसी संभावना होने से वादी प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 के विरूद्व स्थायी निषेधाज्ञा का वाद पेश कर रहा है। उक्त 0.25 है0 आराजी नम्बर 874 व 876 से मे यानि प्रतिवादीगण की आराजी मे से दिलाया जावे। वादी के पक्ष मे प्रतिवादीगण 1 लगायत 6 के खिलाफ खातेदारी घोषणा की डिक्री इस अमर की जारी की जावे कि वाद के पेरा 1 मे वर्णित अनुसार पेरा संख्या 4 मे वर्णित आराजीयात को रेकार्ड अनुसार

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

बराबर करते हुए शेष आराजी का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। वादी के पक्ष मे प्रतिवादीगण 1 लगायत 6 के विरूद्व स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री इस आशय की जारी की जावे कि वादग्रस्त आराजीयात के वादी के उपयोग उपभोग मे किसी प्रकार की बाधा प्रतिवादीगण स्वयं, परिवार के सदस्यों या नोकरो ऐजेन्टो से उत्पन्न नही करे व न करावे।

प्रकरण पंजीबद्व किया जाकर प्रतिवादीगणों को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। दिनांक 30.06.2007 को प्रतिवादी नं0 2 व 6 की ओर से अभिभाषक श्री दिनेश व्यास ने अधिकार पत्र पेश किया। प्रतिवादी नं0 1, 3, 4, 5, 7 बावजूद सम्मन तामील उपस्थित नही होने से एक तरफा कार्यवाही की जाकर प्रकरण वास्ते जवाबदावा प्रतिवादीगण 2 व 6 के नियत किया गया। दिनांक 22.04.2008 तक पर्याप्त अवसर दिये जाने के बाद भी प्रतिवादीगण नं0 2 व 6 का जवाब दावा प्रस्तुत नही होने से जवाबदावा बन्द किया जाकर प्रकरण साक्ष्य वादी के नियत किया गया। दिनांक 11.08.2011 को वादी स्वयं का शपथ पत्र साक्ष्य के रूप मे पेश किया गया जो पी0डब्ल्यू0 – 1 है। दिनांक 23.11.2012 को अभिभाषक वादी द्वारा प्रतिवादी नं0 3 देबी की मृत्यु हो जाने से आदेश 22 नियम 4 (4) जा0दी0 पेश किया जाकर नकल अभिभाषक प्रतिवादी को दी गई। दिनांक 18.06.2014 को अभिभाषक प्रतिवादी द्वारा प्रार्थनापत्र आदेश 22 नियम 4 (4) जा0दी0 का जवाब प्रस्तुत नही किये जाने से जवाब बन्द किया जाकर प्रकरण वास्ते बहस प्रार्थना पत्र के नियत किया गया। दिनांक 15.10.2014 को बहस सुनी जाकर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया। दिनांक 03.10.2016 को प्रतिवादीगण एवं उनके अभिभाषक उपस्थित नही होने से एक तरफा कार्यवाही की गई। प्रकरण दिनांक 31.05.2017 को राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार – 2017 केम्प अटल सेवा केन्द्र लूंलास पर वास्ते सुनवाई हेतु रखा गया। दिनांक 31.05.2017 को तहसीलदार शाहपुरा द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत किया गया जिसमे बताया कि साबिक नम्बर 739/1 ग रकबा 8 बीघा भूमि दर्ज रेकार्ड थी भू–प्रबन्ध ने हाल रेकार्ड मे कन्वर्ड रकबा 1.72 है0 के बजाय 1.47 है0 दर्ज कर दिया है। इस प्रकार 0.25 है0 भूमि कम दर्ज की गई है पुराने नम्बर के मिलान क्षैत्रफल अनुसार 0.25 है0 भूमि हाल आ0न0 1637/876 रकबा 0.27 है0 मे से 0.25 है0 प्रतिवादीगण संख्या 2 से 4 के खातेदारी मे से कम कर वादीगण के नाम पर दर्ज होगी। उपरोक्त विवेचन के आधार पर बाद वादी स्वीकार किया जाना उचित समझता हूँ :–

आदेश

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88–89–188 रा0टी0ए0 स्वीकार किया जाकर डिक्री बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण के इस आशय की जारी की जाती है कि वाके ग्राम चलानिया प0ह0 लूंलास तहसील शाहपुरा की जमाबन्दी संवत 2066–69 के खाता संख्या 307 मे दर्ज आ0न0 1637/876 रकबा 0.27 है0 जो प्रतिवादीगण सोसर बेवा नारायण, नन्दा, देबी, प्यारा, कैलाश

a
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

पिता नारायण नायक निवासी चलानिया के नाम दर्ज रेकार्ड है मे से 0.25 है0 भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रेकार्ड मे इन्द्राज व नक्शें मे तरमीम के आदेश तहसीलदार शाहपुरा को दिये जाते है। प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वादग्रस्त आराजीयात के वादी के उपयोग उपभोग मे किसी प्रकार की बाधा प्रतिवादीगण स्वयं, परिवार के सदस्यों या नोकरो, ऐजेन्टो से उत्पन्न नही करे न करावे। डिक्री जारी हो पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 31.05.2017 को केम्प अटल सेवा केन्द्र लूंलास मे सुनाया गया।

(के0आर0 खौड़)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर शाहपुरा (भीलवाड़ा)

राजस्व लोक अदालत अभियान
न्याय आपके द्वार-2017

डिक्री व मुकदमा इब्तदाई

(आर्डर 20 नियम 6–7 जाप्ता दिवानी)

अज उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

ईजलास श्री के० आर० खोड, आर०ए०एस०

भैरू पिता नारायण नायक निवासी चलानिया तहसील शाहपुरा – वादी

बनाम

1–2 प्यारा,नन्दा पिता नारायण नायक निवासी चलानिया
3– देबी पिता नारायण नायक निवासी चलानिया (फोत) (डिलिट)
4– कैलाश पिता नारायण नायक निवासी चलानिया
5– छगु बेवा भागीरथ नायक निवासी चलानिया
6– महादेव पिता भागीरथ नायक निवासी चलानिया
7– तहसीलदार शाहपुरा

– प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा **88–89–188 आर०टी०ए०**
मुकदमा नम्बर **46/2007 राजस्व वाद**

यह मुकदमा अज वास्ते इनफिसल कतई रूबरू अदालत व हिजरी वकील वादी मिनजानिब मुदई व ......**X**....... मिनजानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है। डिक्री दी जाती है कि :–

वाके ग्राम चलानिया प०ह० लूंलास तहसील शाहपुरा की जमाबन्दी संवत 2066–69 के खाता संख्या 307 मे दर्ज आ०न० 1637/876 रकबा 0.27 है० जो प्रतिवादीगण सोसर बेवा नारायण, नन्दा, देबी, प्यारा, कैलाश पिता नारायण नायक निवासी चलानिया के नाम दर्ज रेकार्ड है मे से 0.25 है० भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रेकार्ड मे इन्द्राज व नक्शे मे तरमीम के आदेश तहसीलदार शाहपुरा को दिये जाते है। प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वादग्रस्त आराजीयात के वादी के उपयोग उपभोग मे किसी प्रकार की बाधा प्रतिवादीगण स्वयं, परिवार के सदस्यों या नोकरो, ऐजेन्टो से उत्पन्न नही करे न करावे।

निज मुबलिग, बाबत खर्चा, इस मुकदमें मे सूद शहर फीसदी सालाना आज तारीख से तारीख व सूलयाबी तक अदा करे।

बाबत मेरे दस्तखत व मोहर से आज तारीख **31** माह **05** सन् **2017** को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर शाहपुरा (भीलवाडा)

उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा (भीलवाड़ा)